प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2454/2012

याचिकाकर्ता — देवेश कुमार पायसी

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2275/2012

याचिकाकर्ता — दीपक कुमार पाण्डेय

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2285/2012

याचिकाकर्तागण — हेमंत कुमार महंत एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2329/2012

याचिकाकर्तागण — रामेश्वर प्रसाद यादव एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2330/2012

याचिकाकर्तागण — रोशन कुमार एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2332/2012

याचिकाकर्तागण वेद प्रकाश सिंह एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2346/2012

याचिकाकर्तागण राजेश कुमार साहू एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2355/2012

याचिकाकर्तागण विकास कुमार श्रीवास एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2373/2012

याचिकाकर्ता बृजनंदन यादव

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2374/2012

याचिकाकर्ता विरेंद्र कुमार शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2375/2012

याचिकाकर्ता संदीप यादव

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2376/2012

याचिकाकर्ता मयंक कुमार तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2377/2012

याचिकाकर्ता जयप्रकाश गौतम

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2576/2012

याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार गौतम

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2577/2012

याचिकाकर्ता दीपक कुमार पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2578/2012

याचिकाकर्ता संदीप कुमार तिर्की

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2579/2012

याचिकाकर्ता दिनेशलाल वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2589/2012

याचिकाकर्ता अनंत वर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2623/2012

याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार साहू

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2624/2012

याचिकाकर्ता मुकेश कुमार मिश्रा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2702/2012

याचिकाकर्ता हेमचंद्र कीवट

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2706/2012

याचिकाकर्ता अभिलाष गुप्ता

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2707/2012

याचिकाकर्ता रामायण प्रसाद द्विवेदी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2708/2012

याचिकाकर्ता मो. मुश्ताक खान

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2709/2012

याचिकाकर्ता विपिन कुमार शुक्ला

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2710/2012

याचिकाकर्ता दिवेश त्रिपाठी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2711/2012

याचिकाकर्ता गोरेल बैगा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2712/2012

याचिकाकर्ता रामचंद्र तिवारी

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2713/2012

याचिकाकर्ता राम कुमार राम

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2723/2012

याचिकाकर्ता देवराज सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2728/2012

याचिकाकर्ता बिहारीलाल राजवाड़े

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2729/2012

याचिकाकर्ता बृजेश कुमार यादव

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2730/2012

याचिकाकर्ता पंकज सिंह

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2736/2012

याचिकाकर्ता अंजनीलाल हलवाई

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3116/2012

याचिकाकर्तागण श्रीमती ज्योति कश्यप एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एवं

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3117/2012

याचिकाकर्तागण — महेंद्र कुमार साहू एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण — छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ)

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित: श्री राकेश पांडेय, श्री आर.के. गुप्ता, श्री संजय पटेल एवं

श्री डी.एन. प्रजापति — अधिवक्ता वास्ते संबंधित याचिकाकर्तागण।

श्री वाई.सेवा. ठाकुर — उप महाधिवक्ता वास्ते राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 21 नवम्बर, 2012 को पारित)

1. इस याचिका समूह में सम्मिलित तथ्यों एवं विधिक प्रश्न समान हैं, अतः सभी प्रकरणों की सुनवाई एक साथ की जा रही है तथा इस संयुक्त आदेश द्वारा उनका निराकरण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि दिनांक 24-9-2011 के विज्ञापन (परिशिष्ट-पी/5) के अंतर्गत, जिसे "साक्षात्कार सूचना" शीर्षक से दिनांक 29-9-2011 को 'नवभारत' समाचार-पत्र में प्रकाशित किया गया था, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रस्तुत करने एवं दिनांक 30-9-2011 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.30 बजे तक काउंसलिंग/साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्तागण ने जिला कोरिया के बैकुंठपुर स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आयोजित साक्षात्कार में भाग लिया।

3. सभी याचिकाकर्तागण को बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के पद पर नियुक्त किया गया (संक्षेप में "एम.पी.एच.डब्लू"), सिवाय डब्लू.पी.(सेवा) क्रमांक 2728, 2730 एवं 2736 / 2012 के

याचिकाकर्तागण के, जिन्हें प्रयोगशाला टेकनीशियन के पद पर नियुक्त किया गया था तथा डब्लू.पी.(सेवा) क्रमांक 3116 / 2012 के याचिकाकर्ता को सहायक नर्स मिडवाइफ (संक्षेप में "ए.एन.एम.") के पद पर नियुक्त किया गया था। एम.पी.एच.डब्लू की नियुक्तियाँ दोषपूर्ण सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की गई थीं तथा प्रयोगशाला टेकनीशियन एवं ए.एन.एम. की नियुक्तियाँ चयन/नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार की सूचना प्रकाशित किए बिना की गई थीं।

4. जाँच के दौरान यह पाया गया कि एम.पी.एच.डब्लू, ए.एन.एम. एवं प्रयोगशाला टेकनीशियन की नियुक्तियों में कुछ अनियमितताएँ थीं और परिणामस्वरूप राज्य शासन द्वारा दिनांक 4-4-2012 के पत्र (परिशिष्ट-आर/1) के माध्यम से कलेक्टर, जिला कोरिया को उक्त चयन के संबंध में जाँच करने के निर्देश दिए गए।

5. इसके अनुसरण में याचिकाकर्तागण की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं की जाँच की गई। समुचित जाँच के उपरांत दिनांक 31-5-2012 की विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्तरवादीगण क्रमांक-3 द्वारा दिनांक 8-4-2008 के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है, साथ ही एम.पी.एच.डब्लू, ए.एन.एम. एवं प्रयोगशाला टेकनीशियन की नियुक्ति हेतु निर्धारित नियमों का भी उल्लंघन किया गया। आरक्षण की रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया, उचित विज्ञापन जारी नहीं किया गया तथा "साक्षात्कार सूचना" दिनांक 29-9-2011 को समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई और साक्षात्कार दिनांक 30-9-2011 को आयोजित किया गया। 30 अभ्यर्थी, जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थे, उसी दिन चयनित किए गए तथा विभिन्न तिथियों अर्थात् 5, 15, 19, 20, 22, 29 एवं 31 दिसम्बर 2011 तथा 17 जनवरी 2012 को अलग-अलग आदेश जारी किए गए। सभी पात्र अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करने के लिए कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, सिवाय उनके जिन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण के आधार पर नियुक्त किया गया था। यह भी पाया गया कि रोजगार कार्यालय से सूची मंगाते समय केवल 64 व्यक्तियों की सूची ही माँगी गई थी। जब दिनांक 29-4-2011 तक सूची प्राप्त नहीं हुई, तब रोजगार कार्यालय को स्मरण-पत्र भेजा गया और उसके पश्चात् दिनांक 29-9-2011 को साक्षात्कार हेतु सूचना प्रकाशित की गई, जिसमें साक्षात्कार दिनांक 30-9-2011 को होना निर्धारित किया गया। अभिलेख के अनुसार, 109 अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु उपस्थित हुए। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूची में सम्मिलित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत विज्ञापन का प्रकाशन दो समाचार-पत्रों में किया जाना आवश्यक था, जबकि वर्तमान प्रकरण में यह केवल एक समाचार-पत्र अर्थात् 'नवभारत' में प्रकाशित किया गया। जाँच के दौरान अभिलेखों की भी जाँच की गई और यह पाया गया कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 30 अभ्यर्थियों में से केवल 27 अभ्यर्थियों को एम.पी.एच.डब्लू. के पद पर नियुक्त किया गया। चयन समिति द्वारा अपनाई गई किसी भी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि ए.एन.एम. के 8 पदों तथा प्रयोगशाला टेकनीशियन के 5 पदों पर, विज्ञापन के माध्यम से कोई सार्वजनिक सूचना जारी किए बिना, तथा सेवा नियमों का पालन किए बिना नियुक्तियाँ की गईं।

7. सभी अभ्यर्थियों को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया, जैसा कि दिनांक 16-5-2012 के सूचना-पत्र (परिशिष्ट–पी/8) से स्पष्ट है। इसके पश्चात् दिनांक 1-6-2012 को दूसरा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया (परिशिष्ट–पी/9)। याचिकाकर्ता कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किए जाने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के तथ्य का विवाद नहीं करते हैं। उत्तरवादीगण क्रमांक-3 द्वारा उपर्युक्त अवैधताऐ कारित किए जाने के दृष्टिगत, दिनांक 8-6-2012 के आदेश (परिशिष्ट–पी/11) द्वारा अवैध चयन के आधार पर की गई संपूर्ण चयन प्रक्रिया तथा नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अतः ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. राकेश पांडेय, श्री आर.के. गुप्ता, श्री संजय पटेल तथा श्री डी.एन. प्रजापति— सम्बंधित याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण—यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जाँच उचित नहीं है क्योंकि याचिकाकर्तागण का चयन पूर्णतः मेरिट के आधार पर तथा रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर किया गया था।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप महाधिवक्ता श्री ठाकुर यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति जिन नियमों द्वारा शासित है, वे हैं—मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय से संबंधित) अराजपत्रित वर्ग–III सेवा भर्ती नियम, 1989 (संक्षेप में "नियम, 1989")। नियुक्ति की विधि नियम 11 में निर्धारित है, किंतु उसका पालन नहीं किया गया। अतः अवैध चयन के आधार पर याचिकाकर्तागण की नियुक्ति को केवल इस आधार पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी

जा सकती कि उनका चयन हो गया था और तत्पश्चात् उन्होंने सेवा ग्रहण कर ली थी। विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि विज्ञापन भी दोषपूर्ण था, क्योंकि समान स्थिति वाले अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान नहीं किया गया; चूँकि नगर के बाहर अथवा नगर के भीतर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगले ही दिन आवेदन करने तथा नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना संभव नहीं था। संपूर्ण प्रक्रिया कपटपूर्ण थी, जैसा कि जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है। आक्षेपित आदेश पारित किए जाने से पूर्व याचिकाकर्तागण को एक नहीं बल्कि दो बार सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अतः याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार के अनुतोष के पात्र नहीं हैं और याचिकाएँ निरस्त किए जाने योग्य हैं।

10. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागणों के तर्क सुने, प्रस्तुत अभिवचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेज़ों का अवलोकन किया तथा मूल अभिलेखों एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत याचिकाकर्तागण के कथनों का भी परीक्षण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त रूप से वर्णित सभी तथ्य निर्विवाद हैं। "साक्षात्कार सूचना" शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन को उचित सूचना नहीं माना जा सकता। चयन/नियुक्ति हेतु सूचना ही उचित सूचना होती है। जब चयन की विधि साक्षात्कार के माध्यम से हो, तब "साक्षात्कार सूचना" भ्रामक होती है। चयन/नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने की स्पष्ट मंशा व्यक्त किए बिना, अगले ही दिन नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों को बुलाना विधि की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। न्यूनतम युक्तियुक्त अवधि कम से कम 15 दिवस उचित शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन के माध्यम से दी जानी चाहिए थी, ताकि अधिकतम पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार में उपस्थित होकर मेरिट के आधार पर समुचित चयन सुनिश्चित कर सकें।

12. ए.एन.एम. एवं प्रयोगशाला टेकनीशियन के संबंध में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का भी परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि याचिकाकर्तागण के चयन एवं नियुक्ति से पूर्व ए.एन.एम. एवं प्रयोगशाला टेकनीशियन के चयन हेतु कोई विज्ञापन तक जारी नहीं किया गया था। तथापि, वर्तमान प्रकरण में सभी याचिकाकर्तागण को उनकी नियुक्तियाँ निरस्त किए जाने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि यदि की गई गड़बड़ी अत्यंत व्यापक एवं सर्वव्यापी हो तथा परिणाम को

प्रभावित करती हो, तो एकमात्र उपाय संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त करना होता है। *(देखें: भारत संघ एवं अन्य बनाम ओ. चक्रधर*[1]*)*

13. नियम, 1989 के नियम 11 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान नहीं है कि अभ्यर्थियों को केवल रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही बुलाया जाए। इसके अतिरिक्त, यह विधि का सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि भले ही याचिकाकर्तागण के नाम रोजगार कार्यालय से बुलाए गए हों, फिर भी यह संवैधानिक रोजगार योजना की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता, क्योंकि सभी संबंधितों के लिए खुला आमंत्रण होना आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में नाम का पंजीकरण पात्रता की शर्तों में से एक हो सकता है, किंतु केवल रोजगार कार्यालय से नाम बुलाना संवैधानिक रोजगार योजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। यह स्वीकार्य तथ्य है कि याचिकाकर्तागण की भर्ती किसी भी नियम के अनुसार नहीं की गई थी। *(देखें: दरबार सिंह पोर्ते एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[2]*)*

14. नियम 11 के उप-नियम (3) में आरक्षण का प्रावधान है, जिसका भी चयन प्रक्रिया में पालन नहीं किया गया। यह उल्लेख करने कि आवश्यकता नहीं है कि एम.पी.एच.डब्लू., ए.एन.एम. एवं प्रयोगशाला टेकनीशियन का चयन प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यह भी सुव्यवस्थित है कि यदि कोई नियुक्ति अवैध है, जो संवैधानिक योजना के अनुरूप नहीं है तथा सेवा नियमों का भी पालन नहीं किया गया है, तो ऐसी नियुक्ति विधि की दृष्टि में शून्य होती है, जिसके कारण वह नियुक्ति अकृतता मानी जाती है। *(देखें: अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य*[3] *तथा म्युनिसिपल कारपोरेशन जबलपुर बनाम ओम प्रकाश दुबे*[4]*)*

16. प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से चयन एवं नियुक्ति की उस विधि पर विचार करते हुए, जो अवैध थी तथा याचिकाकर्तागणों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् जाँच में उजागर हुई, आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

---

[1] (2002) 3 एस सी सी 146
[2] 2010 (3) सी जी एल जे 418
[3] (2007) 4 एस सी सी 54
[4] (2007) 1 एस सी सी 373

17. परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ, आधारहीन होने से निरस्त की जाती हैं तथा प्रत्येक पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेगा।

हस्ताक्षरित/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... RANJAN GUPTA, ADVOCATE